

सं. एस-11011/02/2015-एसबीएम
 भारत सरकार
 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
 एसबीएम प्रभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
 नई दिल्ली-110003
 दिनांक 01 मार्च, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
 ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
 सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : बेकार शौचालयों के निर्माण के संबंध में प्रविष्टि करने के लिए प्रविष्टि मॉड्यूल (ईएम-45) एसबीएम (जी)-
 आईएमआईएस ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय ने अवलोकन किया है कि शौचालयों के निर्माण हेतु राज्यों को एसबीके, मनरेगा आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से धन मुहैया कराए जा रहे हैं। तदनुसार यह महसूस किया गया कि इन निर्माण कार्यों के डाटा व्यवस्थित रखने तथा वित्त स्रोतों के अनुसार वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति दोनों को मॉनीटर की आवश्यकता भी है।

इस उद्देश्य के साथ, इस मंत्रालय ने एसबीके निधि, मनरेगा आदि जैसे विभिन्न स्रोतों के जरिए बेकार शौचालयों के निर्माण से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए एसबीएम (जी)- आईएमआईएस में एक प्रविष्टि मॉड्यूल (ईएम-45) तैयार किया है।

2. इसलिए, अनुरोध किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाए कि बेकार शौचालयों के निर्माण के संबंध में उपर्युक्त प्रविष्टि मॉड्यूल में आँकड़ों की समुचित प्रविष्टि और रखरखाव और अद्यन किया जाए।

3. इसके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

3/0

(सुनील कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित -

- (1) राज्य समन्वयकर्ता एसबीएम (जी), सभी राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र ।
- (2) तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को वेबसाइट पर डालने हेतु।